

#shahjhanpurpol

## प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 16.06.2021

### \*थाना बण्डा पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही\*

#### \*सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ स्टेटस लगाकर रौब दिखाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार !\*

श्री एस आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार रौब दिखाने के लिये अवैध असलहा के साथ फोटों/वीडियों सोशल मीडिया पर अपलोड करने तथा अवैध असलहा रखने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्री नवनीत कुमार, क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 14.06.21 को एक व्यक्ति ने शाहजहाँपुर पुलिस के ट्विटर एकाउण्ट पर सोशल मीडिया ट्विटर पर अभियुक्त का तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने व तमंचा दिखाकर रौब दिखाने की शिकायत की थी। जिस पर सोशल मीडिया सैल में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल द्वारा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार को तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये।

इसी क्रम में दिनांक 16.06.2021 को थाना बण्डा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर थाना बण्डा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र अजय किशोर निवासी ग्राम धर्मापुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को प्राइमरी स्कूल के पास ग्राम धर्मापुर थाना बण्डा से 01 अदद देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-विवेक कुमार पुत्र अजय किशोर निवासी ग्राम धर्मापुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

#### बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर,
- 2- 01 अदद देशी जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### पूछताछ का विवरण:-

तमंचे के स्रोत के बारे में पूछने पर बताया कि उक्त तमंचा थाना खुटार क्षेत्र के मौ० रायटोला के रहने वाले रामौतार से लिया था, जो कुछ दिन पहले शस्त्र फैक्ट्री में जिला कारागार शाहजहाँपुर में निरुद्ध है। अभियुक्त विवेक कुमार उपरोक्त से बरामदगी के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

#### पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 372/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- व०उ०नि० श्री राजेश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- का० 1870 बिजेन्द्र सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- का० 306 रियाजुद्दीन थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर